-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 09.04.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दहेज हत्या मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा विभिन्न मामलों में वांछित चल रहे अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा दहेज हत्या मामले वांछित एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब हो कि मुश्ताक पुत्र रज्जव नि0 ग्राम छोटी कुंजर थाना छतरपुर नें दिनांक 31.03.2026 को थाना कोतवाली नगर में अपनी पुत्री की दहेज हत्या के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 170/26 धारा 103(1)85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट पंजीकृत करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है व अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 09.04.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एक अन्य वांछित अभियुक्त को बाबूलाल चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता-

1. रफीक पुत्र मंहगू निवासी मोहल्ला पोड़ाबाग थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग –

- मु0अ0सं0 170/26 धारा 103(1)85 बीएनएस व 3/4 डीपी थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री रामजीत गौड़ निरी0 अपराध थाना कोतवाली नगर
2. कां0 संतोष विश्वकर्मा